न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 59/2018 जिला दौसा ।

कमलादेवी धर्म पत्नि जगदीश प्रसाद जाति मीना निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तह0 लालसोट जिला दौसा (राज0)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सावित्री पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नी नाथू लाल जाति ब्राहमण निवासी निर्झरना पाट्या तह0 लालसोट जिला दौसा (राज0)
2. रूकमणी पुत्र स्व0 रामेश्वर पत्नी रामावतार जाति ब्राहमण निवासी चौण्डियावास तह0 लालसोट जिला दौसा (राज0)
3. गीता पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नी रामजी लाल जाति ब्राहमण निवासी चौण्डियावास तह0 लालसोट जिला दौसा (राज0)
4. सम्पत्ति पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नी मुरारीलाल जाति ब्राहमण निवासी चौण्डियावास तह0 लालसोट जिला दौसा (राज0)
5. चिरंजीलाल
6. सुरेश
7. कैलाश

   पि0 स्व0 रामेश्वर प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी श्रीरामपुरा तह0 लालसोट जिला दौसा।
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा दिनांक 01.06.2018 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट पं. श्री रामबाबू शर्मा।
2. वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 श्री राजकुमार शर्मा।

निर्णय

दिनांक–22.03.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के निर्णय दिनांक 01.06.2018 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं मियाद अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 21.08.2018 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा शीर्षक अपील सावित्री बनाम कैलाश में पारित निर्णय दिनांक 01.06.2018 के द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार लालसोट जिला दौसा को रिमांड किया गया।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2018 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट् एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 उपस्थित। शेष रेस्पोडेंट बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलांट् एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि मृतक रामेश्वर पुत्र रामचरण ब्राहमण श्रीरामपुरा के इंतकाल के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 380 दिनांक 05.06.2008 को अधीनस्थ ग्राम पंचायचत देवली द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 5 से 7 के हक में तस्दीक कर दिया। इस नामान्तकरण के आधार पर मृतक रामेश्वर प्रसाद की खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 90 रकबा 14 बिस्वा, ख0न0 91 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 92 रकबा 4 बिस्वा, ख0न0 104 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 6 बीघा भूमि की खातेदारी रामेश्वर प्रसाद के तीनो लडको सुरेश, चिरंजी, कैलाश के हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 रिकार्ड में दर्ज हो गई। नामान्तकरण संख्या 380 दिनासंक 05.06.2008 के तस्दीक होने के पश्चात रेस्पोडेंट्स संख्या 07 कैलाश प्रसाद द्वारा ख0न0 104 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से अपने हिस्सा 1/3 की भूमि को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 24.07.2017 को अपीलांट् को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट्स को भली भांती थी। रेस्पोडेंट्स द्वारा आपस में काल्यूजन करते हुये गुपचुप में एक अपील नामान्तकरण संख्या 380 के विरूद्ध दिनांक 17.08.2017 को उपखण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलांट् को खातेदार होते हुये भी इस अपील में पक्षकार दर्ज नही किया गया। प्रकरण दिनांक 08.11.2017 से 15.11.17 को निर्धारित कर 15.11.17 की आदेशिका लिखे बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2018 को न्याय आपके द्वारा कैम्प मिर्जापुरा में रखकर आनन फानन में नामान्तकरण संख्या 380 को निरस्त कर तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 20.08.2018 को प्राप्त हुई। रेस्पोडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.08.2017 को अपील पेश की गई जबकि रेस्पोडेंट संख्या 7 कैलाश दिनांक 24.07.2017 को ही ख0न0 104 में से अपना हिस्सा 1/3 की जमीन विक्रय कर चुका था जिसका नामान्तकरण संख्या 649 भी अपीलांट् के हक में खुल चुका था। उसके उपरान्त भी अपीलांट् को अपील में पक्षकार नही बनाया गया। अपीलांट् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से पीडित है क्योंकि अपीलांट् को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो पक्षकार बनाया गया ना ही उसे सुनवाई का मौका दिया और बिना सुने ही खातेदारी अधिकारी समाप्त कर दिये। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन दिनांक 01.06.2018 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट्स सं0 01 से 03 योग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि मृतक रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामचरण ब्राहमण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 90 रकबा 14 बिस्वा, ख0न0 91 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 92 रकबा 4 बिस्वा, ख0न0 104 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 6 बीघा भूमि वाके ग्राम श्रीरामपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा रही है तथा रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 4 रामेश्वर प्रसाद की पुत्रिया है। उक्त आराजीयात भूमि के खातेदार

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

तथा रेस्पोडेंटस के पिता रामेश्वर प्रसाद का स्वर्गवास दिनांक 23.12.2007 को हो जाने के पश्चात उनकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 380 वाके ग्राम श्रीरामपुरा तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा गलत प्रकार से स्व0 रामेश्वर प्रसाद के समस्त वारिसान के नाम दर्ज नही कर रेस्पोडेंट संख्या रेस्पोडेंट संख्या 5 से 7 के नाम तस्दीक कर दिया जिसे निरस्त फरमाया जाकर स्व0 रामेश्वर प्रसाद के वास्तविक वारियान की जांच कर अपीलांटस (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4) के हक में भी नामान्तकरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार लालसोट को आदेशित किये जाने की प्रार्थना अधीनस्थ न्यायालय में की गई। प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2018 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट् खारिज किये जाने योग्य है।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट् एवं रेस्पोडेंटस के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामचरण ब्राहमण की विरासत के नामान्तरकरण संख्या 380 दिनांक 05.062.2018 वाके ग्राम श्रीरामपुरा के संबंध में है। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. को निर्णित करना हम उचित समझते है। अपीलांट द्वारा ने कथन किया गया है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मे अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया है तथा बिना सुनवाई किये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर नामान्तकरण संख्या 380 दिनांक 05.06.2013 को निरस्त कर तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड कर दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को दिनांक 20.08.2018 को हुई। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जावे।

8. इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के समक्ष अपील पेश कर कथन किया गया कि खसरा नम्बर 90 रकबा 14 बिस्वा, ख0न0 91 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 92 रकवा 4 बिस्वा, ख0न0 104 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 6 बीघा भूमि वाके ग्राम श्रीरामपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी भूमि अपीलांटस (वर्तमान रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 4) के पिता रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामचरण ब्राहमण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है तथा अपीलांटस (वर्तमान रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 4) रामेश्वर प्रसाद की पुत्रिया है। उक्त आराजीयात भूमि के खातेदार तथा अपीलांटस (वर्तमान रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 4) के पिता रामेश्वर प्रसाद का स्वर्गवास दिनांक 23.12.2007 को हो जाने के पश्चात उनकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 380 वाके ग्राम श्रीरामपुरा तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा गलत प्रकार से स्व0 रामेश्वर प्रसाद के समस्त वारिसान के नाम दर्ज नही कर रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 5 लगायत 7) के नाम तस्दीक कर दिया जिसे निरस्त फरमाया जाकर स्व0 रामेश्वर प्रसाद के वास्तविक वारिसान की जांच कर अपीलांटस के हक में भी नामान्तकरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार लालसोट को आदेशित किये जाने की प्रार्थना की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 01.06.2018 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार लालसोट जिला दौसा को रिमाण्ड किया गया। अपीलांट का कथन था कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 01.06.2018 की जानकारी उनको दिनांक 20.08.2018 को प्राप्त हुई है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्याायालय के समक्ष दिनांक 27.06.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 मय अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी तथा अपीलांट द्वारा दिनांक 27.06.2018 को ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2018 को रिव्यू किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिव्यू अन्तर्गत धारा 229 आरटी एक्ट 1955 आदेश 47 नियम 1 सीपीसी से जाहिर होता है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में मिथ्या कथन कर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व से अर्थात दिनांक 27.06.2018 से ही थी तथा अपीलांट द्वारा उक्त तथ्य को छुपाकर तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में मिथ्या कथन कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। इस प्रकार अपीलांट् clean hand से न्यायालय के समक्ष नही आये है बल्कि वास्तविक तथ्यो को छुपाकर तथा मिथ्या कथन कर अवधि बाधित अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का अनुतोष चाहा गया है जो स्वीकार किये जाने योग्य नही है। उपर्युक्त विवेचन से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार करने योग्य है। परिणाम स्वरूप अपील मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है।

9. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner